

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 11/05/2019

विषय : सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत कार्यालय को संचालित करने एवं आर०टी०पी०एस० केन्द्र खोलने के संबंध में।

महाशय

राज्य सरकार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण हेतु कृत संकल्प है।

2. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ जन आकांक्षाओं के अनुरूप बिहार पंचायत राज अधिनियम में उन्हें प्रदत्त दायित्वों को प्रभावी तरीके से सम्पन्न कर सके, उसके लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय सभी कार्य दिवसों में विधिवत् सरकारी कार्यालयों की भाँति संचालित हो।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल 8386 ग्राम पंचायतों में से लगभग 1073 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा फर्नीचर के लिए धन राशि दी जा चुकी है। शेष पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जाने की योजना है।

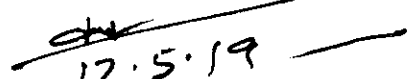
4. जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है वैसे ग्राम पंचायतों में सरकार द्वारा तत्काल यह निर्णय लिया गया है कि ग्राम पंचायत के मुख्यालय ग्राम में अवस्थित ऐसे सरकारी भवन, (विद्यालय भवन एवं सामुदायिक भवन को छोड़कर) पुराने पंचायत भवन, मनरेगा भवन या अन्य उपयुक्त भवन को ग्राम पंचायत कार्यालय भवन के रूप में चिन्हित किया जाय, जहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया/उपमुखिया/पंचायत सचिव/पंचायत रोजगार सेवक एवं अन्य पंचायत स्तरीय कर्मी आदि के बैठने की समुचित व्यवस्था हो तथा यथासंभव ग्राम पंचायत की बैठक हेतु अपेक्षाकृत एक बड़ा कमरा या हॉल उपलब्ध हो। वैसे भवनों में तत्काल ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रभावी तरीके से संचालित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

5. विदित हो कि पंचायत स्तर पर निर्मित पंचायत भवनों/पंचायत कार्यालयों में आर०टी०पी०एस० केन्द्र स्थापित करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक-1744, दिनांक-07.12.2018 निर्गत है। विभागीय पत्रांक-3089, दिनांक-10.05.2019 द्वारा राज्य के सभी पंचायत सरकार भवनों/पंचायत कार्यालय में अनिवार्य रूप से आर०टी०पी०एस०/लोक शिकायत प्राप्ति केन्द्र के कार्यों को और गति प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत है।

6. अपर मुख्य सचिव-सह-मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-881, दिनांक-10.05.2019 द्वारा प्राप्त मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-02.05.2019 तथा 03.05.2019 को लोक सेवा प्रदायगी को और बेहतर बनाने हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों पर हुई चर्चा की कार्यवाही में राज्य के सभी पंचायतों में आर०टी०पी०एस० विस्तार केन्द्र खोले जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

अतः अनुरोध है कि सरकार के उक्त निर्णय की सूचना अपने अधीनस्थ सभी संबंधित पदाधिकारियों को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन


17.5.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव